# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास अशोक कुमार, आरएएस**

वाद संख्या– 59/2014 आवेदन 212RTA

खींवाराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी ग्राम देपुर तहसील नावा जिला नागौर (राज.)

–प्रार्थी

ब ना म

उप वन संरक्षक, वन विभाग सीकर, जिला सीकर।
क्षेत्रीय वन अधिकारी (रेन्जर) वन विभाग दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

## आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1. श्री बंशीधर बाज्या वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर सें।
3. शेष अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

## निर्णय

दिंनाक :– 01.03.2021

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आवेदक की कब्जे, काश्तशुदा कृषि भूमियां पुराना ख.नं. 24/1 रकबा 9 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 39, 41 व 42 नव सृजित किये गये है। वाके ग्राम मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। यह कि उपरोक्त कृषी भूमि ख.नं. 24/1 के नये ख.नं. 42 रकबा 4.33 है. में से 9 बीघा पुख्ता सदैव से ही आवेदक की कब्जे एवं काश्तशुदा रही है। तथा आवेदक व उसके पूर्वज लगातार व निर्बाध रूप से काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आवेदक की भूमि व अन्य भूमियों की खातेदारी कालांतर में गलत रूप से वन विभाग के नाम दर्ज हो गई जिसके तहत सरकार द्वारा धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया जिसका जुर्माना भी समय–समय पर आवेदक राज्य सरकार में जमा करवाता आ रहा है जिनकी रसीदें संलग्न वाद–पत्र है। आवेदक द्वारा अपनी कब्जे, काश्त व खातेदारी की वाद–पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृर्षि भूमि की सींव–नींव वर्षो पूर्व से कायम है। यह है कि आवेदक की वाद–पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृर्षि भूमि की पूर्वजों के समय से सीमायेंब नी हुयी है। उक्त भूमि ख.नं. 42 रकबा 4.33 है0 में से आवेदक की कब्जे एवं काश्तशुदा 9 बीघा पुख्ता से आवेदक के अलावा अन्य किसी का कोई वास्ता एवं सरोकार नहीं है। मात्र खातेदारी की आड में अनावेदकगण जबरन आवेदक को बेदखल कर स्वयं कब्जा कर आवेदक को बेदखल करने पर आमादा है जिसका अनावेदकगण को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। यदि अनावेदकगण संख्या एक व दो अपने नाम खातेदारी की आड में आवेदक की कब्जे एवं काश्तशुदा भूमियों को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द कर

उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी करने व स्वयं कब्जा करने में कामयाब हो गये तो इस कदर आवेदक को घोर असुविधा व अपुर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। यह कि प्रथम दृष्टया मामला आवेदक का सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में होने से आवेदक की विवादग्रस्त कदीमी कब्जेशुदा भूमि क; अनावेदकगण द्वारा खुर्द–बुर्द कर उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी करने से अपूर्तनीय क्षति स्वंय आवेदक को ही होती है इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर सें वकील श्री सरेन्द्रसिंह विश्राम हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर कथन किया की एक बार वन भूमि घोषित होने के बाद राजस्व सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 14.12.2001 के अनुसार वन भूमियों के बारे में निर्देश दिये गये है कि सरकारी रिकार्ड में जो भूमियां वन भूमि के रूप में दर्ज की जा चुकी है उस भूमि पर फोरेस्ट कन्जूरवेशन एक्ट 1980 के समस्त प्रावधान लागू होते है वन भूमि का वर्गीकरण या स्वामित्व किसी भी प्रकार का हो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार यह वन भूमि गैर वानिकी कार्यो के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति के बिन उपयोग में नहीं ली जा सकती है। आवेदन वर्णित भूमि ख.नं. 24/1 व नवीन ख.नं. 39, 41, 42 भी वन क्षेत्र की भूमि है। एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ–7/85 रा0क0 66 दिनांक 22.12.1966 द्वारा वन क्षेत्र घोषित की जा चुकी है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (10) के तहत आवेदक को आवेदन वर्णित वन भूमियों के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते इसलिए प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करने योग्य है। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। **चूंकि** आवदेक द्वारा वर्णित भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ**